



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 कार्तिक 1935 (श0)
(सं0 पटना 840) पटना, बुधवार, 6 नवम्बर 2013

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

अधिसूचना
5 नवम्बर 2013

सं0 10/नीति(ए0आर0एम0)-87/2012-7193—बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा-27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल एतद् द्वारा पूर्व अधिसूचना सं0 1007 दिनांक 14.02.2013 में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्टक "10.00 (दस) रू0" को अंक, शब्द एवं कोष्टक "25.00 (पच्चीस) रू0" द्वारा तुरंत के प्रभाव से प्रतिस्थापित करते हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संदीप पौण्डरीक,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 840-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>